उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः /XX–7–2018–01(65)2016
देहरादूनः दिनांक 27 नवम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस बल की मोटर परिवहन शाखा में आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पदों पर चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में–
(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक मोटर परिवहन के संबंध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक अभिप्रेत हैं;
(ख) "**संविधान**" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ग) "**भारत का नागरिक**" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
(घ) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ड.) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
(च) "**विभागाध्यक्ष**" से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं;
(छ) "**सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "**पुलिस मुख्यालय**" से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है;

(झ) "**सेवा**" से उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "**चयन समिति**" से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु कर्मियों के चयन के लिए नियम–8 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(ठ) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(ड) "**भर्ती का वर्ष**" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न कर दिये जाये, परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।

परन्तु यह कि:

(एक) सरकार कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकती है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन
रिक्तियों का अवधारण

रिक्तियों का अवधारण

5. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों की संख्या चयन समिति को सूचित की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
भर्ती का स्रोत

भर्ती का स्रोत 7. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) **आरक्षी चालक:–** आरक्षी चालक के शत–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पी0ए0सी0 एवं आरक्षी आईआर0बी0 से भरे जायेंगे, जो नियम–8 में उल्लिखित पात्रता रखते हों।

(ख) **मुख्य आरक्षी चालक:–** मुख्य आरक्षी चालक के शत्–प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा आरक्षी चालकों से भरे जायेंगें।

(ग) **उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन):–** उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) की शत्–प्रतिशत पदों को मुख्य आरक्षी चालकों में से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा।

भाग–पांच
चयन हेतु अर्हतायें/प्रकिया

चयन हेतु अर्हतायें /प्रकिया 8. **(क) आरक्षी चालक:–**

(1) अर्हतायें:– आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता धारण करने वाले कर्मी अर्ह होगें:–

(क) पुलिस परिवहन शाखा में कम से कम 06 माह से क्लीनरी अथवा वाहन चलाने का कार्य कर रहा हो।

(ख) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।

(ग) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बिना चश्मे या सहायता से आंखों की दृष्टि 6/6 हो।

(घ) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।

(ड) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राईविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।

(च) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(छ) विगत पांच वर्षो की अवधि में:–

(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या

(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो; या

(3) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ; या

(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(2) चयन समितिः— आरक्षी चालक के चयन हेतु निम्नलिखित चयन समिति गठित की जाएगीः—

1— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक — अध्यक्ष
2— अपर पुलिस अधीक्षक — सदस्य
3— पुलिस उपाधीक्षक — सदस्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित संख्या में कर्मियों को चयन हेतु बुलाया जायेगाः—

(क) 1 से 05 रिक्तियों के लिए— रिक्तियों की संख्या का दो गुना परन्तु कम से कम 05

(ख) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10

(3) चयन प्रकियाः— आरक्षी चालक का चयन, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः—

(क) आवेदन पत्रः— पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड के द्वारा समस्त जिलों और इकाईयों से इस नियम के 8(क) (1) में उल्लिखित पात्रताओं के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी/आईआरबी से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। यह सूचना पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) बुलावा पत्रः— उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित जनपद, इकाई और पीएसी/आईआरबी वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) चालन दक्षता परीक्षाः—पात्र अभ्यर्थियों से चयन समिति के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चालन दक्षता परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(घ) अन्तिम चयन सूचीः— चयन समिति द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की जायेगी।

ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा—

(1) मोटर परिवहन पुलिस में चयन के पश्चात् निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण

करने पर मोटर परिवहन पुलिस में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से।

(2) मोटर परिवहन पुलिस में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ आरक्षी को वरिष्ठ मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(3) आरक्षी के पद पर भर्ती तिथि समान होने पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(4) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी मोटर परिवहन पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(ड) स्वास्थ्य परीक्षणः– स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

(ख) मुख्य आरक्षी चालकः–

(1) अर्हतायेंः– मुख्य आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता धारण करने वाले कर्मी अर्ह होंगेः–

(क) आरक्षी चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(ख) विगत पांच वर्षों का सेवाभिलेख संतोषजनक अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हों।

(ग) विगत पांच वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो एवं दीर्घ दण्ड न मिला हो।

(घ) विगत पांच वर्ष में कोई लघु दण्ड न मिला हो।

(ड) विगत पांच वर्ष में कोई क्षुद्र दण्ड न मिला हो।

ऐसे आरक्षी चालक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लंबित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो, तो निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफें में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

(2) चयन समितिः– मुख्य आरक्षी चालक के पद हेतु चयन समिति के निम्न पदाधिकारी होंगेः–

(1) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष

(2) पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी – सदस्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(ग) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):–

(1) अर्हतायेंः– उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर **परिशिष्ट–'ख'** में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी चालकों में से भरी जाऐंगी जो निम्न पात्रता पूरी करते हों:–

(क) मुख्य आरक्षी, चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

(ग) विगत पांच वर्षों की अवधि में:–

(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(3) कोई लघु दण्ड न मिला हों या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(2) चयन समिति:– चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होंगे:–

पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर का एक अधिकारी – सदस्य
सहायक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो अधिकारी – सदस्य
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) चयन प्रकिया:–

(क) चयन समिति द्वारा प्रश्न–पत्र तैयार किये जायेगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु किसी तकनीकी अधिकारी को अपने स्तर से शामिल करेगी। जो परिवहन विभाग का आर0आई0, ए0आर0टी0ओ0 अथवा आर0टी0ओ0 स्तर का अधिकारी होगा।

(ख) आवेदन पत्र:– पुलिस मुख्यालय सेवा परिपत्र के माध्यम से समस्त जिलों, इकाईयों और पीएसी/आईआरबी वाहिनियों के पात्र मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा।

(ग) बुलावा पत्र:– पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उनके जनपद इकाई एवं पीएसी/आईआरबी वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) विभागीय परीक्षा:– परिशिष्ट–'ख' में विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ड) सेवाभिलेख:–चयन समिति द्वारा **परिशिष्ट–'ख'** में यथा सेवाभिलेखों के आंकलन के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

(च) अन्तिम चयन सूची:– चयन समिति द्वारा **परिशिष्ट–'ख'** में यथा विहित योग्यताक्रम में अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

(छ) स्वास्थ्य परीक्षण:–स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

9. (1) **आरक्षी चालकः**— चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को चयन समिति द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठताक्रम के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण कुल 04 माह यथा (03 माह का विहित प्रशिक्षण एवं 01 माह का हिल ड्राईविंग प्रशिक्षण) सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी चालक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। प्रशिक्षण में असफल घोषित ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जायेगा।

<u>आरक्षी चालक का "एडवांस मैकेनिक कोर्स"</u>

परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्ति से पुलिस मुख्यालय द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

ऐसे आरक्षी चालक, जिन्होंने एडवांस मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है, द्वारा ज्येष्ठता क्रम में आरक्षी चालक के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 03 वर्ष के भीतर "एडवांस मैकेनिक कोर्स" अनिवार्यतः पूर्ण करा लिया जाय। ज्येष्ठताक्रम में उन्हें उक्त कोर्स के लिये, जो वर्ष में दो बार आयोजित होगा, भेजा जायेगा। प्रशिक्षण अनुभाग, पुलिस मुख्यालय इस कोर्स को कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) **मुख्य आरक्षी चालकः**— चयन समिति द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुए हों, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उन्हें उनके पूर्व पद पर वापस भेज दिया जायेगा।

(3) **उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):**— चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुए हों, उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उनके मूल संवर्ग पर वापस भेज दिया जायेगा।

नियुक्ति / पदोन्नति

10. (1) **आरक्षी चालकः**— आरक्षी चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित आरक्षी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आरक्षी चालक के रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगें। जिस आरक्षी का एक बार मोटर परिवहन पुलिस में आबंटन हो जायेगा उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(2) **मुख्य आरक्षी चालकः**— निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों

को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):– निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

पदोन्नति लेने से इन्कार

11. विभागीय चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये किसी कार्मिक द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत होने पर विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और पदोन्नति को अस्वीकार किया जाता है तो उस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी उसके पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए उस चयन वर्ष में अन्य उपयुक्त पाये गये कार्मिक या उपयुक्त पाये जाने वाले कार्मिक को पदोन्नत करने के संबंध में विचार कर सकेंगें।

भाग–छः
परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता एवं प्रत्यावर्तन

परिवीक्षा

12. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

13. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

14. (1) **आरक्षी चालकः–** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणास्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा। एक चयन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

आरक्षी चालक की ज्येष्ठता उनके ड्राईविंग कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची से अवधारित की जायेगी। ड्राईविंग कोर्स में समान अंक प्राप्त होने की दशा में उनकी भर्ती तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अंक एवं भर्ती तिथि समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उपरोक्त दोनों तिथियां समान होने की दशा में हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित होगी।

(2) मुख्य आरक्षी चालकः– मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता का निर्धारण आरक्षी चालक के पद पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):–एक चयन से चयनित उपनिरीक्षक, (मोटर परिवहन) की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी चालक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी। परन्तु पूर्ववर्ती चयन का उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) पश्चात्वर्ती चयन में नियुक्त उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) से ज्येष्ठ होगा।

आरक्षी चालक का प्रत्यावर्तन

15. नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को मोटर परिवहन शाखा के कार्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता के आधार पर, ड्राईविंग लाइसेंस निरस्त होने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक के अनुमोदनोपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस भेज सकेगा। इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को

उसके मूल संवर्ग मे उसकी पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार समायोजित किया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित कर्मी के विरूद्ध लंबित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

मुख्य आरक्षी चालक का कार्य

16. मुख्य आरक्षी चालक से आवश्यकता अनुसार वाहन चलानें का कार्य भी लिया जा सकेगा।

भाग–सात
वेतन एवं भत्ते आदि

वेतनमान/भत्ते

17. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत है:–

क्र0	पदनाम	वेतनमान
1–	उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन)	रू0 44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7
2–	मुख्य आरक्षी, चालक	रू0 25500–81100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
3–	आरक्षी चालक	रू0 21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

मुख्य आरक्षी चालक (प्रोन्नत वेतनमान) पदनामित एवं अर्हतायें

18. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी चालक जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी चालक (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा और वे सहायक उप निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे।

भाग–आठ
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

19. सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

20. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

21. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

22. प्रत्येक उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

वार्षिक शस्त्र चालन, प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास

23. प्रत्येक उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य आरक्षी चालक, एवं आरक्षी चालक विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

व्यावृति

24. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्गो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1210 (1)/XX—7—2018—01(65)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

VK Kumar

(विजय कुमार)
उप सचिव

परिशिष्ट—क

नियम—4(2) देखें

पद का नाम	स्वीकृत नियतन
आरक्षी चालक	506
मुख्य आरक्षी चालक	70
उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन)	09
योग	**585**

परिशिष्ट—'ख'

(नियम—8(ग) देखें)

विभागीय परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर चयन की प्रक्रिया

1— विभागीय परीक्षा दो चरणों में होगी:—

(क) उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त तैयार किया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा। **चयन** समिति द्वारा प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया जायेगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से **चयन** समिति द्वारा आयोजित व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा मे सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और प्राप्त किये गये अंक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु **चयन** समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा।

2— उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:—

1. मुख्य आरक्षी, चालक के पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. विगत 05 वर्षो की अवधि में सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो तथा पूर्व विगत 05 वर्षों में कोई गम्भीर दण्ड न मिला हो।
3. उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रान्तीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निम्न विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी:—

परीक्षा विषय	**अंक**
1— वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा(हिन्दी— 30, सामान्य ज्ञान—30, तकनीकी ज्ञान—40)	100
2— तकनीकी प्रैक्टिकल टेस्ट	50

3— **सेवा अभिलेखों का परीक्षणः**— सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे जिनका निर्धारण/मानक निम्न प्रकार किया जायेगा:—

(1) कोर्स (अधिकतम 10 अंक)

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। चालक पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें:—

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स —02 अंक

(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स —04 अंक

(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स —06 अंक

(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स –08 अंक

(2)पुरस्कार/पदक–(अधिकतम–20 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए– 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)
(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक –10 अंक
(ग) मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक –10 अंक
(घ) वीरता पुलिस पदक –10 अंक
(ड) सराहनीय सेवा पुलिस पदक –08 अंक
(च)महामहिम राज्यपाल पदक –06 अंक
(छ) मा0 मुख्यमंत्री पदक –06 अंक
(ज) उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह –04 अंक
(झ) सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह –02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 10 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी/सर्वोत्कृष्टOut Standing- 02 अंक(प्रत्येक मन्तव्य पर)
(ख) अतिउत्तम Very good –01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) एडवांस मैकेनिक कोर्स –10 अंक

(5) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी।
(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।
(3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक क्षुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 05 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

3– अन्तिम चयन सूची:–

चयन समिति द्वारा विभागीय परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंकों के आधार पर उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद हेतु पात्र व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो उनकी योग्यता प्रथमतः आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाई स्कूल के प्रमाण–पत्र में
उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनका योग्यताक्रम निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार तैयार की गयी सूची चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके अनुमोदनोपरान्त उक्त सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।